संख्या-133/2023/1614/22-2-2022-17(601)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2023*

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घनश्याम मिश्र उर्फ मुकुट मिश्र पुत्र श्री वेदव्यास मिश्र, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे-5-दया0बैठक-16-03-2022 दिनांक-09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घनश्याम मिश्र उर्फ मुकुट मिश्र पुत्र श्री वेदव्यास मिश्र, जो पिपराखास, थाना-नगर, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बंदी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक-25-07-2011 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहा से फायर करके 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-86/2012 में भा0द0वि0 की धारा-147,148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ, बस्ती के आदेश दिनांक 13.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 31.10.2021 तक 10 वर्ष, 03 माह की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष, 08 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी की उम्र 57 वर्ष होने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बंदी घनश्याम मिश्र उर्फ मुकुट मिश्र (बन्दी संख्या-57/2018) पुत्र श्री वेदव्यास मिश्र, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपर्युक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-133/2023/1614/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in